न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

रामसिंह पुत्र चिरंजी जाति मीना आयु 55 साल निवासी तूमापुरा पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली हाल कार्यालय जिला रसद विभाग करौली, तहसील व जिला करौली (राज0) — रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी करौली आदेश दिनांक 03.06.2019 प्रकरण संख्या 244/7319 जिसके द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

उपस्थिति–1 श्री नवलकिशोर शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी
2 श्री अमित कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, प्रतिनिधि रेस्पोण्डेण्ट

निर्णय

दिनांक 07.10.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक करौली व प्रवर्तन निरीक्षक टोड़ाभीम द्वारा दिनांक 07.03.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई थी जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपनी राशन दुकान के बाहर मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन सूची का प्रदर्शन (स्पष्ट) नहीं करना, एक माह की राशन सामग्री देकर दो माह का राशन निकालकर एक माह के राशन का दुरुपयोग करना, 8.47 क्विं. गेंहूं, 2.5 क्विं. चीनी का दुरुपयोग करना एवं 114 लीटर केरोसीन कम माप में देकर आमद से अधिक वितरण करना पाया गया जिसके आधार पर आदेश दिनांक 03.06.2019 द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलाण्ट ग्राम पंचायत पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली का उचित मूल्य दुकानदार है। अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान के संबध में जांच दिनांक 07.03.2019 को प्रवर्तन निरीक्षक मंडरायल द्वारा कारण बताते हुये अपीलार्थी की दुकान पर मूल्य सूची, स्टाक प्रदर्शन बोर्ड, पोश मशीन की पर्ची नहीं निकालने व स्टॉक रजिस्टर का संधारण व खाद्य सुरक्षा सूची चस्पा नहीं होने व सत्यापन में खाद्य सामग्री कम पाये जाने एवं पूछताछ पर उपभोक्ताओं द्वारा सही वितरण नहीं करने आदि अनियमितितायें बताते हुए प्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 07.03.2019 को ही निलंबित किया जाकर प्रार्थी को एक नोटिस दिनांक 18.03.2019 को दिया गया जिस नोटिस का जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.05.2019 को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 03.06.2019 को अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया जिस निरस्तीकरण आदेश से व्यथित होकर यह

जिला कलक्टर
करौली

अपील प्रस्तुत की जा रही है। निर्णय जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रवर्तक निरीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए यह आरोप साबित माना है कि उचित मूल्य दुकान के बाहर मूल्य व स्टाक प्रदर्शन बोर्ड लगा हुआ था परन्तु स्पष्ट नहीं था तथा स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं था और खादय सुरक्षा सूची चस्पा नहीं पाई गई उक्त आरोप पूर्णतः असत्य है जिसकी सत्यता बाबत कोई साक्ष्य जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं थी। मौके पर मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड स्पष्ट रूप से पठनीय लगा हुआ था और स्टॉक रजिस्टर के संधारण में कोई अनियमितता नहीं थी तथा खादय सुरक्षा सूची भी स्पष्ट रूप से चस्पा थी। इस कारण निर्णय जिला रसद अधिकारी अपास्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में अपीलार्थी के विरूद्ध यह आरोप लगाये गये है कि पोश मशीन से पर्ची नहीं दी जाती है और उपभोक्ताओं ने ऐसा बताया है कि अपीलार्थी का कार्य सही नहीं है उक्त आरोप भी पूर्णतः निराधार है जिसकी कोई साक्ष्य जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं रही है। अपीलार्थी द्वारा पोश मशीन की पर्ची नियमानुसार दी जाती है और अपना कार्य सही रूप से संपादित किया जाता है। किसी भी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत अपीलार्थी के कार्य व्यवहार के सम्बन्ध में नहीं की गई है जबकि किसी व्यक्ति द्वारा द्वेषतावश बिना किसी प्रकार के कोई शिकायत की गई है तो उस शिकायत का कोई विधिक मूल्य नहीं है। इस कारण निर्णय जिला रसद अधिकारी अपास्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में यह आरोप उल्लेखित किया है कि उपभोक्ता पुखराज के राशन कार्ड पर जनवरी 19 में 16 किलो गेंहू देकर दुरूपयोग किया और मौके पर मजले आम में राशन कार्डों पर 2–2 ऑनलाईन वितरण पाये गये है जबकि राशन कार्डों में सिर्फ एक–एक माह के वितरण का ही इन्द्राज पाया गया उक्त आरोप पूर्णतया असत्य है और ऐसी कोई साक्ष्य प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा एकत्रित नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार गेंहू का वितरण अनुसार राशन कार्डों में इन्द्राज किया है और राशन सामग्री का दुरूपयोग नहीं किया गया है। इस कारण निर्णय अपास्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में अपीलार्थी के स्टॉक में 8.47 क्विंटल गेंहू का दुरूपयोग किया जाना माना है जबकि अपीलार्थी द्वारा गेंहू का कोई दुरूपयोग नहीं किया है और रिकार्ड अनुसार गेंहू से उठाव एवं वितरण व शेष स्टॉक में कोई अन्तर नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा 2.5 क्विंटल चीनी का दुरूपयोग किया जाना भी विधि विरूद्ध निर्णीत किया गया है जबकि अपीलार्थी के रिकार्ड अनुसार कोई चीनी नहीं पाई गई है। अपीलार्थी के पास 114 लीटर केरोसीन आमद से अधिक पाया जाना बिना किसी विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर निर्णीत किया है जबकि अपीलार्थी के पास अधिक केरोसीन नहीं पाया गया है। इस कारण निर्णय जिला रसद अधिकारी अपास्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन का आदेश 1976 का उल्लंघन विधि विरूद्ध तौर पर निर्णीत किया है जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के स्टॉक में केवल 8 क्विंटल गेंहू बकाया था जिसे जमा कराने हेतु अथवा अटैच डीलर को रूकवाने का आदेश देने हेतु जिला रसद अधिकारी महोदय से निवेदन किया है और अपीलार्थी उक्त शेष गेंहू को रूकवाने हेतु हमेशा तैयार रहा है इस कारण निर्णय जिला रसद अधिकारी अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी के पास रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है और अपीलार्थी व अपीलार्थी के परिवार की आजीविका पूर्णतया उचित मूल्य दुकान पर ही निर्भर है अपीलार्थी के विरूद्ध द्वेषतावश की गई मिथ्या शिकायत के आधार पर राजनैतिक प्रभाव में प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। इस कारण निर्णय जिला रसद अधिकारी अपास्त होने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

जिला कलक्टर

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम दिनांक 07.03.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान का निरीक्षण किया गया। अपीलार्थी की दुकान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नहीं होकर 3–4 किमी. दूर स्थित गांव में है। वक्त जांच अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के बाहर मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड लगा हुआ था परंतु स्पष्ट नहीं था। स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं था। खाद्य सुरक्षा सूची चस्पा नहीं थी। उपभोक्ताओं ने बताया कि अपीलार्थी का कार्य सही नहीं है। पोस मशीन से पर्ची नहीं देता है। उपभोक्ता पुखराज के राशन कार्ड संख्या 007630900084 पर जनवरी 19 में 10 किलो गेंहूं का वितरण दर्ज का इन्द्राज है जबकि उसी दिन 10–10 किलो के हिसाब से 2 बार का ऑनलाइन वितरण है। मौके पर मजमे आम में 8 राशनकार्डों में कई माहों में एक साथ दो–दो ऑनलाइन वितरण पाये गये जबकि राशनकार्डों में एक –एक माह के वितरण के ही इन्द्राज पाये गये तथा उपभोक्ताओं ने भी एक–एक माह का ही राशन मिलना बताया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा दो माह का एक साथ ऑनलाइन वितरण दर्शाया जाकर एक माह का राशन उपभोक्ताओं को दिया गया है एवं एक माह के राशन का दुरुपयोग किया गया है। अपीलार्थी की दुकान पर वक्त जांच 550 किलोग्राम गेंहूं, 00(शून्य) किलोग्राम चीनी व 00(शून्य) लीटर केरोसीन पाया गया। कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट के आधार पर ऑडिट करने पर माह फरवरी 19 के प्रारंभिक स्टॉक 1812 किलोग्राम गेंहूं एवं माह फरवरी 19 की आमद 5800 किलोग्राम गेंहूं सहित कुल 7612 किलोग्राम गेंहूं में से 6215 किलोग्राम गेंहूं के वितरण उपरांत 1397 किलोग्राम गेंहूं होना चाहिये था। इसी प्रकार दिनांक 01.01.2018 के प्रारंभिक स्टॉक 00(शून्य) किलोग्राम चीनी एवं वक्त जांच तक आमद 450 किलोग्राम चीनी सहित कुल 450 किलोग्राम चीनी में से 249.5 किलोग्राम चीनी के वितरण उपरांत 200.5 किलोग्राम चीनी होनी चाहिये थी। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 के प्रारंभिक स्टॉक 00(शून्य) लीटर केरोसीन एवं वक्त जांच तक आमद 11700 लीटर केरोसीन सहित कुल 11700 लीटर केरोसीन की अपेक्षा 11814.25 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया है। इस प्रकार वक्त जांच अपीलार्थी राशन डीलर के पास 847 किलोग्राम गेंहूं व 200.5 किलोग्राम चीनी कम पायी गई एवं अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा 114.25 लीटर केरोसीन का आमद से अधिक वितरण किया है। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा गंभीर अनियमितताएं किये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम दिनांक 07.03.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। वक्त जांच अपीलार्थी की राशन दुकान के बाहर मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन सूची का प्रदर्शन (स्पष्ट) नहीं करना, एवं दुकान के भौतिक सत्यापन करने पर गेंहूं 550 किलोग्राम, चीनी 00(शून्य) किलोग्राम व केरोसीन 00(शून्य) लीटर पाया जाना अपीलार्थी द्वारा प्रमाणित माना है जो अपीलार्थी के निरीक्षण प्रपत्र पर किये गये हस्ताक्षरों से स्पष्ट है। मौके पर जांच किये गये 8 राशन कार्डों में कई माहों में 2–2 बार का ऑनलाइन वितरण एवं राशनकार्डों में एक माह का इन्द्राज किये जाने से अपीलार्थी द्वारा दो माह का एक साथ वितरण किया जाकर एक माह ही राशन सामग्री देना भी प्रमाणित है। कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट के आधार वक्त जांच अपीलार्थी की दुकान पर 1397 किलोग्राम गेंहूं, 200.5 किलोग्राम चीनी होना चाहिये था जबकि गेंहूं 550 किलोग्राम, चीनी 00(शून्य) किलोग्राम पायी गई एवं केरोसीन का 114.25 लीटर आमद से अधिक वितरण किया जाना पाया गया है। ये सभी गंभीर अनियमितताएं हैं। अतः हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

जिला कलक्टर
करौली

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली का निर्णय दिनांक 03.06.2019 यथावत् रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी राशन डीलर के पास वक्त जांच कम पायी गई राशन सामग्री के संबंध में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

7/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली